[2022] 5 एस. सी. आर 721

जाफरुद्दीन और ओआरएस।

वी.

केरल राज्य

(आपराधिक अपील सं। 430-431 2015)

22 अप्रैल, 2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.378: बरी किए जाने के विरुद्ध अपील-अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या

निचली अदालत के दृष्टिकोण को एक संभावित दृष्टिकोण के रूप में कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो-बरी होने का एक आदेश आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को जोड़ता है दोहरी धारणा जो आरोपी के पक्ष में है, केवल स्वीकृत कानूनी पर पूरी तरह से जांच करके परेशान किया जाना चाहिए।

इस प्रकार मानकों पर, अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है।

आपराधिक कानूनः एफ. आई. आर.: मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में देरी

एफ. आई. आर. आपराधिक कानून को लागू करके जांच की प्रक्रिया शुरू करती है-जांच अधिकारी को मजिस्ट्रेट को अपनी चल रही जांच के दायरे में रखना होता है-ऐसी जानकारी जल्द से जल्द क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट तक पहुंचने की उम्मीद है, देरी से विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप रंगीन संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी पेश की जाती है-हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने में केवल देरी ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.161-जाँच कर रहा है

अधिकारी से एक संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के तुरंत बाद अपनी जांच शुरू करने की उम्मीद की जाती है-एक अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है लेकिन केवल इस पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर-हालाँकि, उपलब्ध होने के बावजूद गवाह से पूछताछ न करने के लिए जाँच अधिकारी से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

साक्ष्य अधिनियमः एस. 27: तथ्य की खोज-ओनस-एस के तहत स्वीकार्यता। 27 तथ्य से संबंधित जानकारी से संबंधित है

खोज-यह परिणाम में खोजे गए तथ्य के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है। अभिरक्षा में एक व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, एक के आरोपी

अपराध-अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से प्राप्त तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है-कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अभियोजन पक्ष कभी-कभी अन्य तरीकों से अभियुक्त की हिरासत का लाभ उठा सकता है-न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता और अन्य साक्ष्य के प्रति सचेत रहना होगा।

एस के तहत एक वसूली के साथ काम करते समय उत्पादित। 27 साक्ष्य अधिनियम।

आपराधिक कानून-तत्काल मामले में, आरोपी, संख्या में 16, इकट्ठा हुए, एक साजिश रची और उसके बाद मृतक पर हमला किया

उसकी जान लेने के लिए-निचली अदालत ने ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 को आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और ए-10 से ए-16 को बरी कर दिया।

अभिलेख पर साक्ष्य-उच्च न्यायालय ने ए-14 से ए-16 के विरुद्ध दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की और अन्य अभियुक्तों, ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 के विरुद्ध दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन इसने मुकदमे द्वारा दिए गए ए-10, ए-11, ए-12 और ए-13 के दोषमुक्ति के आदेश को पलट दिया।

अदालत ने इस आधार पर कि जिन गवाहों ने इन अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में बात की, वे एस के महत्व पर विचार करने में विफल रहे। 149 आई. पी. सी.-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः निचली अदालत ने एक संभावित दृष्टिकोण अपनाया है कि चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अदालत को ए-10 से ए-13 की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं करता है-क्योंकि निचली अदालत को गवाहों को गवाही देते हुए देखने का लाभ था, इसलिए अपीलीय मंच अपने विचारों को प्रतिस्थापित करके उसके बाद आए निष्कर्ष को नहीं बदल सकता है।

उच्च न्यायालय ने प्रधानता के सिद्धांत को अपनाया है

जब बरी किए जाने के आदेश को उलटने के लिए अधिक जांच की आवश्यकता होती है तो मामले में दीवानी मामलों पर लागू होने की संभावना-ए-12 से की गई वसूली के लिए भी, अभियोजन पक्ष के गवाहों से कोई पुष्टि नहीं हुई थी-खून से सना हुआ पहनावा।

कहा गया था कि अस्पताल से ए-13 से बरामद किया गया था-यह ज्ञात नहीं है कि उक्त पोशाक अस्पताल कैसे पहुंची, और उस गिनती पर कोई सबूत सामने नहीं आया, इसके अलावा उक्त पोशाक को आरोपी की पोशाक से संबंधित करने के अलावा-ऐसा लगता था ए-10 से ए-13 की वसूली में एक संरचित पैटर्न होना चाहिए-ए-10 से ए-13 के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है-निचली अदालत द्वारा बरी किया जाना बहाल किया जाता है।

जाफरुद्दीन और ओआरएस। वी. केरल राज्य

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. द्वारा बरी किए जाने के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय

Cr.PC की धारा 378 को लागू करते हुए, अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या निचली अदालत के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है, विशेष रूप से जब रिकॉर्ड पर साक्ष्य दिया गया हो।

विश्लेषण किया। इसका कारण यह है कि बरी करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को जोड़ता है। इस प्रकार,

अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना होगा। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि केवल

मजबूत हुआ। अभियुक्त के पक्ष में ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों पर पूरी तरह से जांच करके ही बाधित किया जाना चाहिए। [पैरा 25] [733-ई-एफ]

मोहन @श्रीनिवास @सीना @Tailor सीना बनाम। कर्नाटक राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1233;

विजयकुमार बनाम। टी. एन. राज्य (2021) 3 एस. सी. सी. 687-आश्रित पर।

2. न्यायक्षेत्र मजिस्ट्रेट जाँच प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जांच करने के लिए है

न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। जाँच अधिकारी को मजिस्ट्रेट को अपनी चल रही जाँच के दायरे में रखना होता है। इसका उद्देश्य संभावित गड़बड़ी से बचना है। Cr.PC की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका होती है। आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक कानून को लागू करने की अनुमति देकर जांच की प्रक्रिया शुरू करती है।

उम्मीद की जाती है कि जानकारी जल्द से जल्द क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाएगी ताकि किसी भी संभावित पूर्व-तिथि या पूर्व-समय से बचा जा सके जिससे दोषी ठहराने के लिए सामग्री को डाला जा सके। सत्य के विपरीत और इस तरह की देरी के कारण अभियुक्त न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो सकता है, बल्कि विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप एक रंगीन कथन, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी की शुरुआत से भी खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि, यह अपने आप में एक देरी है

उचित जाँच के बाद अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करने में यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। अंततः, यह संबंधित न्यायालय [2022] 5 एस. सी. आर. के लिए है।

कॉल करने के लिए। प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद इस तरह का विचार किए जाने की उम्मीद है। [पारस 26,27] [744-सी-एफ]

शिवलाल बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2011) 9 एस. सी. सी. 561: [2011] 11 एस. सी. आर. 429; राजीवन बनाम केरल राज्य [(2003) 3 एस. सी. सी. 355; राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश (2002) 5 एस. सी. सी. 745 [2002] 3 एस. सी. आर. 753-पर निर्भर था।

3. उम्मीद की जाती है कि जांच अधिकारी एक संज्ञेय व्यक्ति के पंजीकरण के तुरंत बाद अपनी जांच शुरू कर देगा। अपराध। अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों पर केवल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उचित समय पर गवाह से पूछताछ न करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हालाँकि, उपलब्ध होने के बावजूद गवाह से पूछताछ न करने के लिए जाँच अधिकारी से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। यह केवल न्यायालय के मन में संदेह पैदा करता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इसी तरह, वर्तमान मामले की तरह दर्ज किए गए एक बयान में, जांच रिपोर्ट को जल्द से जल्द क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की उम्मीद है। एक लंबी, अस्पष्टीकृत देरी, संदेह के लिए जगह देगी। [पारस 28,29] [748-एफ-एच]

शाहिद खान बनाम राजस्थान राज्य (2016) 4 एससीसी 96: [2016] 2 एससीआर 284; गणेश भवन पटेल बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1978) 4 एससीसी 371: [1979] 2 एससीआर 94 -

पर भरोसा किया।

4. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धारा 24 से 26 तक का अपवाद है। धारा 27 के तहत स्वीकार्यता से संबंधित है

खोजे गए तथ्य से संबंधित जानकारी। यह प्रावधान केवल हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए तथ्य के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है, जिस पर अपराध का आरोप है। इस प्रकार, यह "बाद के तथ्यों द्वारा पुष्टि" के सिद्धांत को शामिल करता है जो घटनाओं की श्रृंखला के लिए एक कड़ी की सुविधा प्रदान करता है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी

खोजे गए तथ्य से संबंधित। इसका उद्देश्य पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से इसका उपयोग करना है क्योंकि यह अंततः मुद्दे को छूता है।

अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से एक नए तथ्य की खोज से संबंधित। इसलिए, धारा 27 एक अपवाद है-जाफरुद्दीन और ओआरएस।

वी. केरल राज्य

धारा 24 से 26 तक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अभिप्रेत है और इस प्रकार एक परंतुक के रूप में समझा जाएगा। साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से पता चला तथ्य। यही कारण है कि जानकारी तब प्राप्त की गई है जब आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है।

प्रावधान के पीछे उपरोक्त उद्देश्य को समझने के बाद, धारा 27 के तहत किसी भी वसूली को न्यायालय के प्रावधानों को पूरा करना होगा।

विवेक। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष कभी-कभी अन्य तरीकों से अभियुक्त की अभिरक्षा का लाभ उठा सकता है। न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत वसूली से निपटने के दौरान गवाह की विश्वसनीयता और प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य के प्रति सचेत रहना होगा। [पैरा 30,31] [750-जी-एच; 751-ए-सी]

कुसल टोप्पो बनाम। झारखंड राज्य (2019) 13 एस. सी. सी. 676;

नवनीतकृष्णन बनाम। राज्य (2018) 16 एससीसी 161: [2018]

6 एससीआर 749; एच. पी. प्रशासन। वी. ओम प्रकाश (1972) 1 एससीसी

249 : [1972] 2 एस. सी. आर. 765; अघनू नागेसिया बनाम। की स्थिति

बिहार [1966] 1 एससीआर 134; के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम।

ए. पी. राज्य [1963] 3 एस. सी. आर. 412-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 3 एस. सी. सी. 687

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2011] 11 एससीआर 429

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[(2003) 3 एससीसी 355

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[2002] 3 एससीआर 753 45

उस पर भरोसा करें

पैरा 27

[2016] 2 एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[1979] 2 एससीआर 94

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

(2019) 13 एस. सी. सी. 676

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2018] 6 एससीआर 749

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[1972] 2 एससीआर 765

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[1966] 1 एससीआर 134

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

उस पर भरोसा करें

31 [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 430-431 2015 से। सी. आर. एल. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.10.2014 के निर्णय और आदेश से। ए. 2011 का No.1417 और सीआरएल। 2011 का आर. पी. No.1931।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 450-451 और 2015 का 959।

बसंत आर. सीनियर एड. , रमेश बाबू एम. आर., अब्दुल लतीफ एम. पी., विष्णु पझांगनत, अक्षय सहाय, मनु कृष्णन, अधिवक्ता। के लिए

याचिकाकर्ता। पी. वी. सुरेंद्रनाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशी राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, आलिम अनवर, सावन कुमार शुक्ला, सुभाष चंद्रन के. आर., मुकेश कुमार पांडे, हर्षद वी. हमीद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के हाथों दोषसिद्धि की पुष्टि और बरी किए जाने को चुनौती दी जा रही है

हमारे सामने। अभियुक्त, जिनके बरी होने की पुष्टि हो गई है, बिना किसी आगे की चुनौती के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उचित रूप से, हमारा सामान्य निर्णय

एक ही घटना से उत्पन्न होने वाली इन अपीलों का निपटारा करता है।

संक्षिप्त तथ्यः

2. मृतक और आरोपी दो अलग-अलग राजनीतिक दलों से हैं।

एक दल सी. पी. आई. (एम) और दूसरा एन. डी. एफ. (राष्ट्रीय विकास मोर्चा) से संबद्ध है। सीपीआई (एम) और एन. डी. एफ. के संबद्ध राजनीतिक सदस्यों के बीच लगभग 4 बजे 17.07.2002 पर बहस हुईः 00

मृतक के साथ पी. एम. और पी. डब्ल्यू. 8 सी. पी. आई. (एम) के सदस्यों के रूप में, और ए-3 और ए-10 एन. डी. एफ. के रूप में। विवाद में मृतक ने कथित तौर पर ए-3 पर हमला किया था।

3. बदला लेने की कोशिश में, आरोपी, जिनकी संख्या 16 थी, एकत्र हुए

उसी दिन ए-5 के परिवार के घर में (i.e.17.07। 2002) लगभग 7 बजेः 00 अपराह्न में और मृतक की जान लेने की साजिश रची। उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, ए-1 से ए-13 मृतक के निवास पर लगभग 9

बजे 18.07.2002 पर गएः 30 पी. एम. तीन भौतिक वस्तुओं में, अर्थात्-(i) एक ऑटो-रिक्शा, (ii) एक मोटरबाइक, और (iii) तलवार, चाकू, हेलीकॉप्टर आदि जैसे घातक हथियारों से लैस एक जीप। जबकि चार जाफरुद्दीन और ओआरएस।

उन्होंने (ए-7, ए-10, ए-12 और ए-13) बाहर इंतजार किया, अन्य (ए-1 से ए-6, ए-8, ए-9 और ए-11) अंदर घुस आए और अंधाधुंध हमला किया।

मृतक। इस प्रक्रिया में, उन्होंने दो मौकों पर देशी बम भी फोड़े।

4. इस घटना के लेखक पी. डब्ल्यू. 1 ने देखा था

प्रथम सूचना रिपोर्ट-विस्तार। पी-1 और अन्य। घटना के लिए,

भारतीय दंड संहिता की धारा 143,147,148,427,452,302 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए छह नामित अभियुक्तों और अन्य पहचान योग्य लोगों के खिलाफ अपराध संख्या. पंजीकृत शिकायत अधिकार क्षेत्र में पहुंच गई

अगले दिन शाम करीब 4.15 बजे मजिस्ट्रेट।

5. P.W.64 ने जाँच शुरू की, और तदनुसार गिरफ्तार किया

अभियुक्त, ए-10, ए-12 और ए-13 31.07.2002 पर। इसके बाद, उनकी गिरफ्तारी के अनुसार बरामदगी की गई। ए-11 ने न्यायिक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, पुनालूर, 05.08.2002 पर। पुनर्प्राप्ति हुई है 01.08.2002 पर A-10, A-12 और A-13 से बनाया गया है। ए-11 से, 13.08.2002 पर वसूली की गई।

6. जाँच पूरी होने पर एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

16 अभियुक्तों के विरुद्ध। ए 2, ए-4, ए-5, ए-8, ए 9 से ए-16 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 143,147,148,427,460,302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। ए-1, ए-3, ए-6 और ए-7 फरार होने के कारण उनके खिलाफ मामला विभाजित हो गया।

7. अभियोजन पक्ष ने चिह्नित करते समय कुल 66 गवाहों से पूछताछ की।

एक्स. पी-1 से पी-97। बचाव पक्ष की ओर से, विशेष रूप से ए-8 और ए-9, एक गवाह से डी. डब्ल्यू-1 के रूप में पूछताछ की गई, जबकि एक्स. डी-1 से डी-18 तक चिह्नित किए गए थे। 1 से 54 तक की भौतिक वस्तुओं को पहले प्रदर्शित और पहचाना गया था अदालत।

8. विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय I,

कोल्लम ने ए-10 से ए-16 को बरी करते हुए अन्य को निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहरायाः

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, ए-9 आई. पी. सी. की धारा 302 आर/डब्ल्यू 149 और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, ए-9-यू/एस 147 आर/डब्ल्यू 1 वर्ष के लिए आई. पी. सी.

एस. आई. और Rs.5000 [2022] 5 एस. सी. आर. का जुर्माना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, ए-9-यू/एस 148,149 आई. पी. सी. 2 साल के लिए एस. आई.

और Rs.10,000 का जुर्माना

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8, ए-9-यू/एस 460 आई. पी. सी. 3 वर्षों के लिए आर. आई. और

रुपये का जुर्माना। 15,000

ए-4-यू/एस 427 आई. पी. सी. 6 महीने के लिए एस. आई. और 5,000 रुपये का जुर्माना

9. अभियोजन पक्ष और दोनों द्वारा अपील और संशोधन दायर किए गए थे

एक ओर वास्तविक शिकायतकर्ता और दूसरी ओर दोषी अभियुक्त। केरल के उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 के तहत अपराधों के लिए दंड

आई. पी. सी. की धारा 460,148,302 को आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा गया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 427 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया। ए-14 से ए-16 के पक्ष में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, जबकि इसे तदनुसार बरी किए जाने के आदेश ए-10 से ए-13 को पलटकर अनुमति दी गई थी। जैसे ही ए-14 से ए-16 के खिलाफ कानूनी लड़ाई अंतिम रूप लेती है, दोषी अभियुक्तों ने ये अपीलें दायर की हैं।

न्यायालय से पहले प्रमाण

10. पी. डब्ल्यू. 1 मृतक का रिश्तेदार है जिसने देखा था

घर के अंदर से होने वाली घटना, कुर्सियों के पीछे छिपना। सभी आरोपी उसके परिचित हैं। उन्होंने कुछ अभियुक्तों के खिलाफ विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों को जिम्मेदार ठहराया और उनमें से कुछ की पहचान की। हालाँकि, यह गवाह ए-11 की पहचान नहीं कर सका, जिसका नाम एक्सट में भी नहीं है। पी-1, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक ज्ञात व्यक्ति होने के बावजूद। इसी तरह, वह ए-10 की पहचान नहीं करता है।

11. पी. डब्ल्यू. 2 मृतक के पिता हैं, जिन्होंने भी बचाव किया

पास के कमरे में रहकर खुद की रक्षा करें। आँख होने के बावजूद गवाह और अभियुक्त को जानते हुए, उसने गलत तरीके से ए-10 की पहचान ए-5 के रूप में की। पी. डब्ल्यू. 2 भी ए-11 और ए-12 की पहचान नहीं करता है।

12. पी. डब्ल्यू. 3 नौकरानी के घर पर काम करने वाली नौकरानी है।

संबंधित समय पर मृत। उसने ए-4 को ए-10 के रूप में भी गलत तरीके से पहचाना, उसके इस दावे के बावजूद कि वह उसे घटना से पहले से जानती थी। इस गवाह ने ए 11, ए-12 और ए-13 की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा, हालांकि वह अन्य अभियुक्तों के बारे में बात करती है, जैसा कि पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 2 द्वारा बयान दिया गया है। ये दोनों गवाह कोई संदर्भ नहीं देते हैं। ए-13 तक।

13. पी. डब्ल्यू. 4 मृतक का पड़ोसी है, जिसने देखा है

बाहर की घटना। उन्होंने उस जाफरुद्दीन और ओआरएस को अपदस्थ करके ए-10 और ए-12 की पहचान की।

वे घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में खड़े थे। लेकिन उन्होंने ए-11 और ए-13 की बात नहीं की।

14. P.W.21 मृतक के घर के पास स्थित ए. एस. आर. थिएटर, थाडिक्कड़ में कर्मचारी (कार्यकर्ता) है। उन्होंने देखा था कि

थिएटर से घटना। उसने ए-10 की पहचान की, जिसने उसे मृतक के घर के पास देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (संक्षेप में 'Cr.PC') के तहत उनका बयान घटना के नौ दिन बाद दर्ज किया गया था। संयोग से, ए-10 के खून से सने कपड़े उसके घर से बरामद किए गए थे, क्योंकि वह वसूली मजार में शामिल नहीं था। उन्होंने इसी तरह ए-11 और ए-12 की भी पहचान की। वह ए-13 के खिलाफ विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य को बम फेंकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। हालाँकि वह कहता है कि उसने C.W.22 के साथ घटना को देखा, लेकिन उक्त व्यक्ति की जाँच नहीं की गई।

15. P.W.46 ने घर लौटते समय घटना देखी। उन्होंने गोली की आवाज सुनी और ए-10, ए-12 और ए-13 के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्य किया। उनका बयान केवल 20.07.2002 पर भी दर्ज किया गया था। उन्होंने गलत तरीके से पहचान की

ए-10 ए-7 के रूप में जबकि ए-12 की पहचान करने में असमर्थ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ए-11 के बारे में।

16. जिस डॉक्टर की जाँच P.W.15 के रूप में की गई है, उसने अतिरिक्त जारी किया है। पी-45-पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट, जो देखने पर, लगभग 30 पूर्व-पोस्टमार्टम चोटों का संकेत देता है, जिनमें से अधिकांश को काटा जाता है। 17. ए-8 और ए-9 को चोटें आईं और अस्पताल में उनका इलाज किया गया। चोटों को उकेरा हुआ पाया गया और इस प्रकार बयान के विपरीत पाया गया

उनके द्वारा P.W.45 पर किया गया, मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल के दुर्घटना रजिस्टर की प्रविष्टि के साथ पुष्टि की गई। ए-8 और ए-9 ने बताया कि चोट का कारण यह था कि लॉरी का टायर गिरने से उन्हें चोट लगी थी। दुर्घटनावश जब उन्होंने इसे दूसरे के साथ बदलने की कोशिश की। लेकिन, अपने साक्ष्य में, पी. डब्ल्यू. 45 ने कहा है कि इसकी संभावना नहीं है, और चोट केवल एक तेज धार वाली कठोर वस्तु के कारण हो सकती है।

ट्रायल कोर्ट

18. विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय उपरोक्त रूप में दिया -

एक श्रमसाध्य प्रक्रिया के माध्यम से गहन विश्लेषण करना। इसने अपना निर्णय देने से पहले साक्ष्य के प्रत्येक पहलू पर विचार किया। शायद, केवल ए-10 से ए-13 तक की वसूली के संबंध में, विशेष रूप से साक्ष्य मूल्य पर, अभ्यास नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. इसने पाया कि ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 के पास उन्हें घूरते हुए ठोस सबूत हैं। चश्मदीद गवाहों का सबूत, साथ ही साथ

विशेषज्ञों को ध्यान में रखा गया। Ext.P-1-प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में देरी और A-8 और A-9 को लगी चोटों के बारे में तर्कों पर विधिवत विचार किया गया। इन दोनों अभियुक्तों ने घटना स्थल पर अपने अस्तित्व से इनकार करते हुए धारा 313 Cr.PC पूछताछ के तहत एक ही याचिका दायर की। बचाव पक्ष द्वारा पेश किया गया मामला कि गवाह या तो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए गए हैं या दोषसिद्धि हासिल करने में रुचि रखते हैं, पर्याप्त तर्क देकर स्वीकार नहीं किया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि आरोप का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं

आई. पी. सी. की धारा 120 बी को आकर्षित करते हुए ए-14 से ए-16 को बरी कर दिया गया। 20. इसने चश्मदीद गवाहों के बयानों में विसंगतियों के आधार पर ए-10 से ए-13 को बरी कर दिया। दो भौतिक वस्तुएँ, एक मोटरबाइक और एक ऑटो

रिक्शा को घटना की घटना से असंबंधित पाया गया या अभियुक्त का साक्ष्य मूल्य। इस प्रकार, इसने ए-10 से ए-13 को बरी कर दिया। विचारण न्यायालय के तर्क को यहाँ स्पष्ट किया गया है:

हालांकि पीडब्लू1 उस आरोपी संख्या को गवाही देगा। 1 6 और 8 से 10 तक सड़क पर खड़े वाहन से उतरें जो उन्होंने किया था

यह न कहें कि A13 उनमें से एक था। उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि ए 13 ने बम विस्फोट किया था। पीडब्लू1 के बयान से पता चलता है कि ए 1 से ए 9 और ए 11 पहले हॉल रूम में घुसे और उन्हें चोटें आईं और ए 4 के बाएं गाल पर कटने से असरार नीचे गिर गया। ए 4 की चोट लगने से पहले अशरफ को दाहिने पैर में तलवार से चोट लगी थी। इसके बाद ए 7, ए 10, ए 12 ने हॉल के कमरे में प्रवेश किया और विभिन्न हिस्सों पर चोटें लगाईं। • व्यक्ति का

अशरफ। एक्स. A45 और PW58 के बयान ने साबित किया कि

अशरफ के मृत शरीर पर संबंधित चोटें पाई गईं। हालाँकि पीडब्लू1 ए 1 के नामों को ए 12 में बदल सकता था, लेकिन वह ए 1, ए 3, ए 6, ए 7 और ए 10, ए 11 की पहचान नहीं कर सकता था, वह ए 2, ए 4, ए 5, ए. एस. और ए 9 की पहचान कर सकता था। उनके साक्ष्य से पता चलता है कि ए 11 ने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई।

अशरफ, पीडब्लू2 ने यह भी कहा कि हमलावरों का नाम घर के अंदर आया और अशरफ के व्यक्ति को चोट लगी। हालांकि पीडब्लू2 ने कहा कि ए 2, ए 4, ए 5, ए. एस., ए 9, ए 11 के नाम केवल ए. एस. और ए 9 की पहचान कर सकते हैं। ए 11 के खिलाफ पीडब्लू 2 द्वारा कोई स्पष्ट कार्य नहीं कहा गया है

और पीडब्लू2 के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह देखा जाता है कि सभी थे

तलवार से लैस और इसे अशरफ ने पकड़ लिया और हमलावरों पर हमला कर दिया। इस प्रकार पीडब्लू2 ने केवल 8 और 9 अभियुक्तों की पहचान की है। पीडब्लू 1 और 2 और पीडब्लू 58 और एक्स का साक्ष्य। पी45 ने साबित किया कि पीडब्लू 1 और 2 का संस्करण विश्वास करने के लिए विश्वसनीय है।

पीड़ित जाफरुद्दीन और ओआरएस। वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दाहिनी आंख के दाहिने हिस्से में 20 घाव हुए भौंह, बायां गाल और उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर भी। पीडब्लू58 और एक्स्ट का साक्ष्य। पी45 पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही की पुष्टि करता है और

2. विशेष रूप से अन्य गवाह। पीडब्लू4, पीडब्लू7, पीडब्लू21 और पीडब्लू32 और पीडब्लू46 ने घर के बाहर देखी गई घटना के बारे में बयान दिया है। चूँकि मैंने पहले के अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की है पुनरुत्पादन। पीडब्लू4 ने ए 4, ए 8, ए 9, ए 10 और ए 12 की पहचान की। साक्ष्य के अनुसार उन्होंने देखा कि ए 4 घर के दक्षिणी हिस्से में रसोई के दरवाजे से ए 8 और ए 9 ले गया। ए 10 और ए 12 अशरफ के घर के सामने थे। कोई स्पष्ट कार्य नहीं बताया गया है। पी. डब्ल्यू. 7 शत्रुतापूर्ण गवाह के माध्यम से उसके साक्ष्य से पता चलता है कि ए 4 अशरफ के घर की ओर जीप चला रहा था और ए 5 जीप में था। उनके अनुसार उनका संबंध ए 5 के साथ था। उसकी गवाही की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ऑल ने अशरफ के घर की ओर मोटर साइकिल चलाई है। पी. डब्ल्यू. 21 ने हालांकि आरोपी NOs.2,4,5,8,9,11 और 13 की उपस्थिति का वर्णन किया, वह कहता है कि 4 अभियुक्तों ने मोटर साइकिल और कार के शीशे तोड़ दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ए 4 ने ए 8 लिया और ए 9 घर के सामने ए 11 और ए 13 मौजूद थे। ए 11 के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्य नहीं कहा गया है। वह ए 2, ए 4, ए 5, ए 8 और ए 9 की पहचान कर सकता था, उसने कहा कि ए 13 कोचनसर ने बम विस्फोट किया। अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड के अनुसार

कोचनसर नाम का कोई आरोपी नहीं है। ए 13 का नाम अंसरुद्दीन है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि ए 13 अंसरुद्दीन को कोचनसर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पीडब्लू21, पीडब्लू32 और पीडब्लू46 के सबूतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ए 13 ने घर के प्रांगण में बम विस्फोट किया था। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि

प्रांगण या आस-पास के स्थान पर विस्फोट। इसलिए इसे आयोजित नहीं किया जा सकता है।

कि अभियुक्त विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत अपराध के दोषी हैं। उपरोक्त गवाहों ने ए 13 की ठीक से पहचान नहीं की। उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों ने ए 2, ए 4, ए 5, ए 8 और ए 9 की ठीक से पहचान की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ने साबित किया कि अभियुक्त

नं. 2,4,5,8 और 9 ने घर के प्रांगण में एक गैरकानूनी सभा की और अशरफ की हत्या करने के इरादे से सामने का दरवाजा तोड़कर अशरफ के घर में अतिक्रमण किया। अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल नहीं हुआ

अभियुक्त एन. ओ., ए 10, ऑल और ए 12 के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तों ने ए 5 के घर पर साजिश रची थी और अशरफ की हत्या करने का निर्णय लिया था। अभियुक्तों में से कोई भी धारा 120 बी के तहत अपराध का दोषी नहीं है। "[2022] 5 एस. सी. आर.

ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9। हालाँकि, इसने निचली अदालत द्वारा दिए गए ए-10, ए-11, ए-12 और ए-13 के बरी होने के आदेश को इस आधार पर पलट दिया कि जिन गवाहों ने इन अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में बात की थी, वे ऐसा करने में विफल रहे। आई. पी. सी. की धारा 149 के महत्व पर विचार करें। इन छोटी विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, और अभियोजन पक्ष के मामले को बरामदगी और चिकित्सा, फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों द्वारा समर्थित किया जाता है।

प्रस्तुतियाँ

22. ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अतिरिक्त के रूप में दर्ज की गई है। पी-1 एक बाद का विचार है,

बाद में बनाया गया और इस प्रकार पूर्व-दिनांकित। पंजीकरण संख्या के साथ जीप को संदर्भित करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है, जो कि Ext.P-1 के तहत बरामद की गई सामग्री वस्तुओं में से एक है, जब पी. डब्ल्यू. 1 कहता है कि उसे घटना के अगले दिन ही इसके बारे में पता चला था। यद्यपि एक्सट। पी-1 को इसके पंजीकरण के बाद लगभग 11.00 बजे भेजा गया था, यह अगले दिन लगभग 4.15 बजे ही क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। इस देरी की ठीक से जांच नहीं की गई है। गवाह या तो रुचि रखते हैं या

मौका और इसलिए, अदालतों को उनकी गवाही को खारिज कर देना चाहिए था। वे न केवल मृतक के परिवार के सदस्य हैं बल्कि एक विशेष दल के सदस्य भी हैं। ए-8 और ए-9 को लगी चोटों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं माना गया है।

23. श्री आर. बसंत, ए-10 से ए-13 की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में बताया है -

बरी किए जाने के आदेशों के खिलाफ अपील दायर की गई क्योंकि निर्दोष होने का एक बड़ा अनुमान है। उच्च न्यायालय ने अपने विचारों को निचली अदालत के विचारों से बदलकर निचली अदालत के उचित निर्णय को उलटने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है। यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण संभव है। उच्च न्यायालय ने

वसूली पर निर्भरता रखने में त्रुटि की। यह उस तरीके से नहीं गया जिसमें वसूली की गई है। आई. पी. सी. की धारा 149 यद्यपि एक मूल अपराध है, लेकिन इसे कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित किया जाना है। समान वस्तु का प्रमाण होना चाहिए। जब गवाह अभियुक्त की पहचान करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो दी गई गवाही अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें इस न्यायालय द्वारा मोहन @श्रीनिवास @शीना @Tailor शीना बनाम में निर्धारित कानून के माध्यम से ले जाया। कर्नाटक राज्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1233, जिसमें यह जाफरुद्दीन और ओ. आर. एस. है।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब उचित परीक्षण और साक्ष्य की समीक्षा के बाद, विचारण न्यायालय ने बरी करने का आदेश पारित कर दिया है, तो संहिता द्वारा अधिरोपित उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ होना चाहिए।

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्पष्ट अवैधता के अभाव में,

अदालतों द्वारा दिए गए समवर्ती निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं। दोनों न्यायालयों ने सभी साक्ष्यों पर विचार किया। वैज्ञानिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गवाह, भौतिक वस्तुएँ और बरामदगी। पूर्व घटना के माध्यम से भी उद्देश्य साबित हुआ है। उच्च न्यायालय ने की गई वसूली पर सही विचार किया

मौखिक साक्ष्य के साथ। इसने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को पलटने के अपने कारण बताए हैं। निचली अदालत ने बरामदगी के साक्ष्य मूल्य पर भी विचार नहीं किया। ऐसे मामले में किसी भी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब उठाए गए तर्कों को नोट किया गया था। एफ. आई. आर. में वाहन के नंबर का उल्लेख करने के मुद्दे पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसे अदालत के समक्ष नहीं रखा गया है और किसी भी मामले में, सामग्री के आधार पर दोषसिद्धि दी गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध है।

चर्चा

बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील का क्षेत्रः

25. आई. डी. 1 की धारा 378 को लागू करके बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या निचली अदालत के दृष्टिकोण को संभावित माना जा सकता है, विशेष रूप से जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो। कारण यह है कि बरी करने का आदेश निर्दोषता की धारणा को जोड़ता है

अभियुक्त। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना होगा। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि केवल मजबूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत कानूनी मापदंडों पर पूरी तरह से जांच करके ही बाधित किया जाना चाहिए।

पूर्वाभासः

• मोहन @Srinivas @Seena @Tailor सीना बनाम। की स्थिति कर्नाटक, [2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1233] जैसा कि नीचे दिया गया हैः –

" 20. धारा 378 सी. आर. पी. सी. राज्य को अपील करने में सक्षम बनाती है।

बरी करने के आदेश के विरुद्ध। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 उन शक्तियों की बात करती है जिनका उपयोग अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जब निचली अदालत बरी करके अपना फैसला देती है

अभियुक्त, निर्दोषता का अनुमान अपीलीय न्यायालय के समक्ष ताकत इकट्ठा करता है। नतीजतन, अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी अधिक बोझिल हो जाती है क्योंकि निर्दोष होने की दोहरी धारणा होती है। निश्चित रूप से, अपना निर्णय देने में प्रथम दृष्टांत न्यायालय के अपने फायदे हैं, जो गवाहों को गवाही देते समय व्यक्तिगत रूप से देखना है।

अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल उसके समक्ष साक्ष्य की गहन, अध्ययन की गई जांच में खुद को शामिल करेगा, बल्कि यह कर्तव्य है कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या मुकदमे का निर्णय

यह कहना कि अपीलीय न्यायालय स्वयं को याद दिलाएगा कि बरी किए जाने के मामले में भूमिका निभाने की आवश्यकता होती है।

21. प्रत्येक मामले की सच्चाई की ओर अपनी यात्रा होती है और यह

यह न्यायालय की भूमिका है। सत्य को उसके सामने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर खोजना होगा। व्यक्तिपरकता के लिए कोई जगह नहीं है और न ही अपराध की प्रकृति इसके प्रभाव को प्रभावित करती है। प्रदर्शन। हमारे पास मामलों से निपटने के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम है

मामले। एक अपीलीय न्यायालय मामले की संवेदनशीलता के आधार पर निचली अदालत से एक विशेष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेगा। बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए यदि एक निचली अदालत अपनी संवेदनशीलता के बावजूद अपनी योग्यता के आधार पर किसी मामले का फैसला करती है।

22. कभी-कभी, अदालतों की अपनी सीमाएँ होती हैं। हम पाते हैं कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा अलग-अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, अर्थात् एक ओर विचारण न्यायालय और दूसरी ओर अपीलीय न्यायालय। यदि इस तरह के निर्णय संस्थागत कारणों से लिए जाते हैं बाधाओं, वे अच्छी तरह से संकेत नहीं करते हैं। जिला न्यायपालिका से मूलभूत न्यायालय होने की उम्मीद की जाती है, और इसलिए, उसे अपनी योग्यता के आधार पर किसी मामले का फैसला करने की मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए अन्यथा यह एक रूढ़िवादी प्रतिपादन बन सकता है।

एक नैतिक मंच पर विश्वास। उसके सामने रखी गई सभी सामग्रियों पर विचार करने पर दिए गए निर्णय पर आरोप और निंदा से बचा जाना चाहिए।

द अरुधिन एंड ओआरएस। वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]अपीलीय न्यायालय से कुछ हद तक सावधानी बरतने की उम्मीद है

कोई भी टिप्पणी करने से पहले।

. इस न्यायालय ने समय-समय पर अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच के अवसर पर कानून निर्धारित किया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील। हम.

अनवर में इस अदालत के हाल के एक फैसले पर भरोसा रखने के अलावा उपरोक्त सिद्धांत को गुणा नहीं करना चाहते हैं।

आई वी। हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) 10 एस. सी. सी. 166:

14.2 . अदालत द्वारा तथ्य के निष्कर्ष कब दर्ज किए जा सकते हैं?

विकृत माने जाने वाले से निपटा गया है और

उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 20 में विचार किया गया है,

जो नीचे लिखा हैः (बाबू मामला [बाबू बनाम। की स्थिति

केरल (2010) 9 एस. सी. सी. 189: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1179]

" 20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है यदि निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी या बहिष्कार करके या द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

अप्रासंगिक/अस्वीकार्य को ध्यान में रखते हुए

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस [आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण बनाम। गोपी नाथ एंड संस, 1992 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 312], त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई. [त्रिवेणी रबर और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई. 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 665], गया दिन बनाम। हनुमान प्रसाद [गया दिन बनाम। हनुमान प्रसाद, (2001) 1 एस. सी. सी. 501], अरुवेलु [अरुवेलु बनाम। राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206 (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 288] और गामिनी बाला

कोटेश्वर राव बनाम। एपी का राज्य [गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 636:

(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 372] "

यह आगे देखा जाता है, के निर्णय का पालन करने के बाद इस न्यायालय ने कुलदिप सिंह बनाम. कॉम.

[कुलदिप सिंह बनाम। कॉम. पुलिस विभाग, (1999) 2 एस. सी. सी. 10: 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 429], कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य के या पूरी तरह से अविश्वसनीय आधार पर लिया जाता है।

साक्ष्य और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर कोई

14.3 . विजय मोहन सिंह के हालिया निर्णय में [विजय मोहन सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य, (2019) 5 एससीसी 436: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 586], इस न्यायालय को फिर से धारा के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। 378 सी. आर. पी. सी. और उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप [कर्नाटक राज्य बनाम। विजय मोहन सिंह, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 10732] बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील में। इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के कई फैसलों पर विचार किया। पैरा 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः

जादवभाई बनाम. गुजरात राज्य (1978) 1 एस. सी. सी. 228 : 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 108] इस न्यायालय के समक्ष मामले में, उच्च न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप किया

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर

अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने उलटते हुए

बरी किए जाने पर, अभियुक्त को बरी करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, यह न्यायालय

पैरा 10 में निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया गयाः

'10 . एक बार जब बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने का अधिकार था

स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आते हैं। आम तौर पर, उच्च न्यायालय देय देगा

सत्र न्यायाधीश की राय के लिए महत्व यदि वे साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद आए थे। यह नियम यू. डी. एच. ई. एन. और ओ. आर. एस. में लागू नहीं होगा।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

वर्तमान मामला जहां सत्र न्यायाधीश ने विशिष्ट मामले में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

मामले की परिस्थितियाँ "।

31.1 . सम्बाशिवन में [सम्बाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1320], उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः प्राप्ति पर दोषी ठहराया, हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के प्रत्यावर्तन पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का आदेश विकृत था और दुर्बलता से ग्रस्त था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया:

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि। जबकि

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

' 8. हमने अपील के तहत फैसले पर विचार किया है।

उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने दोशी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्रवाई नहीं की है [रमेश बाबूलाल दोशी बनाम। की स्थिति गुजरात, (1996) 9 एससीसी 225: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 972]। सबसे पहले प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज करें

क्या सुनवाई में निचली अदालत का दृष्टिकोण

सबूत के साथ स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उठाए गए सभी तर्कों को विधिवत पूरा करते हुए एक सुविचारित निर्णय दिया है। लेकिन फिर क्या यह गैर-अनुपालन स्वयं [2022] 5 एस. सी. आर. को अलग रखने को उचित ठहराएगा।

मेरी अदालत की रिपोर्ट

अपील के तहत निर्णय? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण जो एक के फैसले की वैधता पर विचार कर रहा है

अपीलीय अदालत जिसने निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया है, को होना चाहिए स्वयं को संतुष्ट करें यदि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या

इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से हैं

असमर्थनीय है और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा है तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से है

अपीलीय अदालत के फैसले का कोई कारण नहीं

परेशान होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फैसला

विचारण न्यायालय की कोई दुर्बलता नहीं है, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि दोषमुक्ति के आदेश में अपीलीय न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय को दोनों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए।

उचित विचार, जिसके समर्थन में एक बरी किए जाने को ही खड़ा होना पड़ता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में निचली अदालत के फैसले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

31.2 . के. रामकृष्णन उन्नीथन में [के.

रामकृष्णन उन्नीथन बनाम। केरल राज्य, (1999) 3 एससीसी 309: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 410], यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ तथ्य है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद खारिज करने से इनकार कर दिया कि बरी करने का आदेश दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था।

और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर किया गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि सत्र न्यायाधीश के रूप में

प्रासंगिक/सामग्री यू. डी. एच. ई. एन. और ओ. आर. एस. को त्यागना उचित नहीं था।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियुक्त को दोषमुक्त करते समय, उच्च न्यायालय, इसलिए, पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार था

साक्ष्य दें और अपना निष्कर्ष दर्ज करें। इस अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि निचली अदालत द्वारा चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए प्रस्तुत किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3 . एटली में [एटली बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी 807 : 1955 सी. आर. आई. एल. जे. 1653], पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

' 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य की केवल सराहना पर इसे तब तक दरकिनार नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि निचली अदालत के न्यायाधीश का फैसला विकृत था। हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी होने का फैसला विकृत था, तब तक वह इस बात को दरकिनार नहीं कर सकती कि

आदेश दें।

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह खुला है

अभियुक्त की निर्दोषता कमजोर नहीं होती है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले से मजबूत होती है, जिसमें उन गवाहों के आचरण को देखने का लाभ होता है जिनके साक्ष्य उसकी उपस्थिति में दर्ज किए गए हैं। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास [2022] 5 एस. सी. आर. में साक्ष्य की सराहना करने की व्यापक शक्तियां हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील, सवारों के अधीन कि निर्दोषता का अनुमान जिसके साथ आरोपी व्यक्ति मुकदमे में शुरू होता है न्यायालय अपीलीय चरण तक भी जारी रहता है और अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने बरी करने का आदेश दर्ज किया था।

यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य की समीक्षा करता है,

उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और एक विपरीत निष्कर्ष पर आते हैं, निर्णय नहीं कहा जा सकता है दूषित किया गया है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य [सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य, 1951

SCC 1207 AIR 1952 SC 52]; विलायत

खान बनाम। यू. पी. राज्य [विलायत खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, 1951 एस. सी. सी. 898: ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122]) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने में उचित नहीं था।

31.4 . के. गोपाल रेड्डी बनाम के. गोपाल रेड्डी ए. पी. राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 305], इस न्यायालय ने कहा है कि जहां निचली अदालत

स्वयं को काल्पनिक संदेहों से घेरने की अनुमति देता है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करता है और साक्ष्य पर विचार करता है जो मुश्किल से संभव है।

न्याय के हित में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है, ऐसा न हो कि न्याय का प्रशासन

उपहास में लाया जाए "।

एन. विजयकुमार बनाम टी. एन. राज्य, [(2021) 3 एस. सी. सी. 687] जैसा कि नीचे दिया गया हैः

" 20. मुख्य रूप से यह अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागमुथु द्वारा तर्क दिया गया है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक "संभावित दृष्टिकोण" है, जिसे ध्यान में रखते हुए

अभिलेख पर साक्ष्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत ने अपने ए. आर. यू. डी. आई. एन. एंड ओ. आर. एस. के समर्थन में ठोस और वैध कारण दर्ज किए हैं।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बरी किए जाने की मांग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत, बरी किए जाने के खिलाफ अपील के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

घ दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील। लंबे समय पर विचार करके

इस न्यायालय के निर्णय में पहले के मामलों में से कोई नहीं

चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एस. सी. सी. 415 2007) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 325 ने अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करते हुए सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया है।बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील। संबंधित खाद का पैरा 42 इस प्रकार हैः (एस. सी. सी पी. 432)

" 42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैंः

(1) अपीलीय न्यायालय के पास समीक्षा करने की पूरी शक्ति होती है,

उन सबूतों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करें जिन पर

बरी करने का आदेश स्थापित किया गया है। (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और उसके समक्ष साक्ष्य पर एक अपीलीय अदालत

तथ्य के प्रश्नों पर दोनों अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।

और कानून।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे "सारगर्भित और

बाध्यकारी कारण "," अच्छे और पर्याप्त आधार "," बहुत मजबूत परिस्थितियाँ "," विकृत निष्कर्ष "," स्पष्ट गलतियाँ ", आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस तरह के वाक्यांशों पर जोर देने के लिए "भाषा के विकास" की प्रकृति में अधिक हैं अदालत की समीक्षा करने की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा

साक्ष्य देना और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचना।

(4) तथापि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसके लिए मौलिक सिद्धांत के तहत उपलब्ध है

आपराधिक न्यायशास्त्र कि प्रत्येक व्यक्ति होगा

जब तक उसे [2022] 5 एस. सी. आर. द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता है, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है।

कानून का सक्षम न्यायालय। दूसरा, अभियुक्त के पास

उसे बरी कर दिया, उसकी बेगुनाही का अनुमान

द्वारा और अधिक प्रबलित, पुनः पुष्ट और सुदृढ़ किया जाता है

अदालत की सुनवाई।

(5) यदि दो उचित निष्कर्ष संभव हैं

अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, अपीलीय न्यायालय

द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए

ट्रायल कोर्ट "।

21. आगे मुरुगेसन के फैसले में [मुरुगेसन बनाम। राज्य, (2012) 10 एससीसी 383: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 69] ने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील, इस न्यायालय पर भरोसा किया

निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल उन मामलों में जहां निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है, केवल तभी उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और दोषसिद्धि के बरी होने के फैसले को उलट सकता है। उक्त में निर्णय, "संभावित दृष्टिकोण" से "गलत दृष्टिकोण" या "गलत दृष्टिकोण" के अंतर को समझाया गया है। स्पष्ट शब्दों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक "संभावित दृष्टिकोण" है, तो उच्च न्यायालय दोषसिद्धि के बरी होने के निर्णय को उलट नहीं सकता है।

XXX

XXX

XXX

23. इसके अलावा, हकीम खान बनाम। एम. पी. राज्य, (2017) 5 एस. सी. सी. 719: (2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 653 इस न्यायालय ने मामलों में हस्तक्षेप के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया है। जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति अभिलिखित की जाती है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि निचली अदालत का "संभावित दृष्टिकोण" उच्च न्यायालय के लिए सहमत नहीं है, तो भी निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए ऐसे "संभावित दृष्टिकोण" को बाधित नहीं किया जा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब तक विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण यथोचित रूप से गठित किया जा सकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि उच्च न्यायालय उससे सहमत है या नहीं, निचली अदालत के फैसले को बाधित नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय निचली

अदालत के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। फैसले का पैरा 9 इस प्रकार हैः (एससीसी पीपी। 722-23)

" 9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम उनका मानना है कि निचली अदालत का फैसला अधिक जाफरुद्दीन है

& ओआरएस। वी. केरल राज्य

[एम. एम. सुंदरेश, जे.]

बरी किए जाने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल एक संभावित दृष्टिकोण की तुलना में, और यह कि हत्या के अपराध के आरोपी सत्रह व्यक्तियों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, यानी दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 242 के तहत। निचली अदालत का सबसे महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह था कि सर्दियों की शाम को शाम 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक का समय देखते हुए, अंधेरा हो जाएगा, और इसलिए, सत्रह व्यक्तियों की पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। यह कारण, इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि एकमात्र स्वतंत्र गवाह शत्रुतापूर्ण हो गया, और दो अन्य चश्मदीद गवाह जो स्वतंत्र थे, नहीं थे जाँच के बाद, निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी में एक बड़ा छेद पैदा होगा। इसके अलावा, यह तथ्य कि आरोपी पक्ष के तीन लोगों को चोटें आई थीं, जिनमें से दो की खोपड़ी में गहरी चोटें थीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं था और पूरी संभावना है कि एक हाथापाई हुई थी जिससे दोनों पक्षों को चोटें आईं। जबकि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील का यह कहना सही हो सकता है कि निचली अदालत ने यह कहने में अतिशयोक्ति की कि शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था, लेकिन निचली अदालत का अंतिम निष्कर्ष जिससे बरी होना निश्चित रूप से इस मामले के तथ्यों पर एक संभावित दृष्टिकोण है। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि सरगना सरपंच की उपस्थिति अपने आप में संदिग्ध है

तथ्य यह है कि वह कुछ दूरी पर न्यायालय में उपस्थित हुआ और

घटना के बाद बस से पहुंचे।

24. उपरोक्त सिद्धांतों और मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य को लागू करके, हमारा विचार है कि भौतिक विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं और जैसा कि निचली अदालत के फैसले में भी संदर्भित किया गया है, यह कहा जा सकता है कि बरी होना एक "संभावित दृष्टिकोण" है। ऊपर बताए गए निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके,

यह मानते हुए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, यह दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है। साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि जब निरीक्षण अधिकारी और अन्य गवाह, जिनसे अभियोजन पक्ष की ओर से पूछताछ की जाती है, अपीलार्थी-अभियुक्त के कार्यालय गए, तो अपीलार्थी [2022] 5 एस. सी. आर. नहीं था।

वहाँ कार्यालय और कार्यालय खुले थे और लोग थे अपीलार्थी के कार्यालय से बाहर आना-जाना। पीडब्लू 3,5 और 11 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मुद्रा और सेलफोन अपीलार्थी द्वारा उनके कहने पर मेज के दराज से निकाले गए थे। इसका भी कोई कारण नहीं है, जब दागी नोट और सेलफोन शाम 5:45 बजे अपीलार्थी को दिए गए थे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी और अपीलार्थी का पीडब्लू 11 द्वारा शाम 7 बजे तक परीक्षण नहीं किया गया था।

(एफ. आई. आर.) प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजने में देरी

मजिस्ट्रेटः

26. क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

जाँच प्रक्रिया। इसका उद्देश्य जाँच को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है। जाँच अधिकारी को मजिस्ट्रेट को अपनी चल रही जाँच के दायरे में रखना होता है। इसका उद्देश्य संभावित गड़बड़ी से बचना है। Cr.PC की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका है।

27. आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रिया शुरू करती है।

अंततः, यह संबंधित न्यायालय को निर्णय लेना है। ऐसा नज़रिया है प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद लिए जाने की उम्मीद है।

पूर्वाभासः

शिवलाल बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य, [(2011) 9 एस. सी. सी. 561]

इसके नीचेः

" 18. भजन सिंह बनाम में यह न्यायालय। हरियाणा राज्य,

(2011) 7 एससीसी 421: (2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 241 ने एफ. आई. आर. की प्रति भेजने के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है। इलाखा मजिस्ट्रेट ने देरी से और शिव राम बनाम सहित बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा करने के बाद।

राज्य जाफरुद्दीन और ओआरएस। वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उत्तर प्रदेश का (1998) 1 एस. सी. सी. 149: 1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 278: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 49 और अरुण कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 108: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 472 इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सी. आर. पी. सी. आंतरिक और बाहरी प्रावधान करता है। जाँचः उनमें से एक संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा एफ. आई. आर. की प्रति की प्राप्ति है। यह इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि

एफ़. आई. आर. पूर्व-समय पर या पूर्व-दिनांकित नहीं होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को प्रत्येक गंभीर अपराध के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत कार्रवाई करने की स्थिति में हो सके। वैधानिक प्रावधान का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को जांच के बारे में सूचित करना है ताकि -

उसे जाँच को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना और यदि आवश्यक हो, तो उचित दिशा दें। हालांकि, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में हर देरी होगी।

अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि एफ. आई. आर. बताए गए समय पर दर्ज नहीं की गई है या पूर्व-समय पर या पूर्व-दिनांकित है या जांच निष्पक्ष और स्पष्ट नहीं है। किसी दिए गए मामले में, देरी के लिए एक स्पष्टीकरण हो सकता है। इलाका मजिस्ट्रेट को एफ़. आई. आर. की प्रति भेजने में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, इस तरह का प्रतिकूल निष्कर्ष किसी मामले में शामिल उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर निकाला जा सकता है।

राजीवन बनाम। केरल राज्य, [(2003) 3 एस. सी. सी. 355] निम्नानुसार हैः -

" 12. एक अन्य संदिग्ध कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील इस कारक पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ थुलिया काली बनाम का उल्लेख करना सार्थक है। की स्थिति

टी. एन. [(1972) 3 एससीसी 393: 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 543] जिसमें एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी और उसके परिणामों पर चर्चा की गई है।

पैरा 12 में यह न्यायालय कहता हैः (एस. सी. सी पी. 397)

" आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमे में पेश मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है। उपरोक्त रिपोर्ट का महत्व शायद ही हो सकता है अभियुक्त के दृष्टिकोण से अधिक आंका गया। अपराध के संबंध में पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य [2022] 5 एस. सी. आर. है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जो अपराध किया गया था, वास्तविक के नाम अपराधी और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ नाम भी

घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाह। देरी

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अक्सर परिणाम होता है

स्वतःस्फूर्तता का लाभ, खतरे की चपेट में आता है रंगीन संस्करण का परिचय, अतिरंजित विवरण

या विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप मनगढ़ंत कहानी और परामर्श लें। इसलिए यह आवश्यक है कि इसमें देरी हो।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए

संतोषजनक ढंग से समझाया गया। "

(जोर दिया गया)

XXX

XXX

XXX

14. जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आशंका व्यक्त की थी,

बाद में विचार के परिणामस्वरूप, शायद राजनीतिक कड़वाहट के कारण, अपीलार्थियों के बाद के निहितार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष एफ़. आई. आर. दर्ज करने में देरी से इस तथ्य को और बल मिलता है।

पुलिस अधिकारी द्वारा एक्स्ट में ब्लैंक शीट के बारे में दिया गया संतोषजनक स्पष्टीकरण। पी-30, एफ़. आई. आर. का काउंटरफ़ॉइल और एक्स्ट के बारीकी से लिखे गए निचले भाग द्वारा भी। पी-1, पीडब्लू 1 का कथन। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के साथ पढ़ी गई ये सभी तथ्यात्मक परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि तत्काल मामले में एफ़. आई. आर. पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में 12 घंटे की देरी, इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस स्टेशन स्थित है।

केवल घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर एक और कारक है जो घटना की वास्तविकता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त है।

एफ. आई. आर. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने मजिस्ट्रेट के साथ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के बारे में संतोषजनक व्याख्या नहीं की।

15. मरुदनाल ऑगस्टी बनाम में यह न्यायालय। केरल राज्य (1980) 4 एस. सी. सी. 425: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 985 ने मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. भेजने में देरी के सवाल से जुड़े एक मामले का फैसला करते हुए आगाह किया कि इस तरह की देरी से अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होगा, जबकि जे. ए. एफ. आर. यू. डी. ई. एन. एंड ओ. आर. एस.।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अर्जुन मारिक बनाम। बिहार राज्य, 1994 पूरक (2) एस. सी. सी. 372: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1551 इस न्यायालय द्वारा यह याद दिलाया गया था किः (एस. सी. सी पी. 382, पैरा 24)

धारा 157 और 159 सी. आर. पी. सी. के संयुक्त पठन से लिखा गया है। इसका दोहरा उद्देश्य है, सबसे पहले इससे बचना। अभियोजन पक्ष की कहानी में सुधार की संभावना और विचार-विमर्श और परामर्श द्वारा किसी भी विकृत संस्करण की शुरुआत और दूसरा संबंधित मजिस्ट्रेट को जांच की प्रगति पर नजर रखने में सक्षम बनाना।

राजस्थान राज्य बनाम। ओम प्रकाश, [(2002) 5 एस. सी. सी. 745] इस प्रकारः

" 9. एफ. आई. आर. दर्ज करने में लगभग 26 घंटे की देरी हुई। यह अपराध कथित तौर पर सुबह लगभग 9 बजे हुआ था। अगले दिन सुबह लगभग 11.30 बजे एफ़. आई. आर. दर्ज की गई। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री बचाव द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस देरी ने महत्व ग्रहण कर लिया था और विशेष रूप से घातक था जब प्रत्यर्थी के भाई

अभियोजक, नामतः मम राज (पीडब्लू 6) निश्चित रूप से घर पर था। वकील के अनुसार, देरी के परिणामस्वरूप अलंकरण हुए हैं। रिलायंस को थुलिया काली बनाम के मामले में निर्णय पर रखा गया है। टी. एन. राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 393: 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 543: ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 501] ने अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस उद्देश्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है - मुकदमे में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करना। अपराध के संबंध में पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य प्राप्त करना है।

जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ आंखों के नामों के बारे में प्रारंभिक जानकारी

घटना स्थल पर मौजूद गवाह।

2] 5 एस. सी. आर. में देरी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के परिणामस्वरूप अक्सर अलंकरण होता है जो एक विचार के बाद का प्राणी है। देरी के कारण, रिपोर्ट न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि जोखिम भी बढ़ जाता है।

रंगीन संस्करण का परिचय, अतिरंजित विवरण या

विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप मनगढ़ंत कहानी। इन सिद्धांतों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है जिन पर श्री बच्चन ने भरोसा किया था, लेकिन वर्तमान मामले में वास्तविक सवाल है।

यह देरी के स्पष्टीकरण के बारे में है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्णय लेने से पहले परिवार के सदस्यों के लिए परिवार में बड़ों के आने का इंतजार करना बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं है जब इस तरह का कोई अपराध किया जाता है। ऐसे मामलों में परिवार की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और एक छोटे बच्चे का करियर और जीवन शामिल होता है। इसलिए, घर पर अभियोजक के भाई की उपस्थिति है बहुत अधिक परिणाम नहीं। यह पता चला है कि लड़की का पिता अपने भाई के साथ शाम 7 बजे अपने घर वापस आया था। लड़की दिन में बेहोश थी। पीडब्लू 2 ने अपने पति को बताया कि उसके पास क्या था

उनकी बेटी के साथ हुआ। पुलिस स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पर था। पीडब्लू 1 की गवाही के अनुसार परिवहन का कोई तरीका उपलब्ध नहीं था। अगले दिन सुबह पुलिस को सूचित किया गया और 11.30 पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

ए. एम. पुलिस को मामले की सूचना देने में देरी हुई है

इस प्रकार पूरी तरह से समझाया गया है।

धारा 161 Cr.PC के तहत बयान दर्ज करने में देरीः

28. उम्मीद की जाती है कि जाँच अधिकारी अपना काम शुरू कर देगा।

संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के तुरंत बाद जांच। अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों पर केवल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। गवाह से पूछताछ न करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियाँ हो सकती हैं।

29. इसी तरह, वर्तमान मामले की तरह दर्ज किए गए एक बयान में, जांच रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की उम्मीद है जल्द से जल्द। एक लंबी, अस्पष्टीकृत देरी, संदेह के लिए जगह देगी।

जाफरुद्दीन और ओआरएस। वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]एडेंट्सः

शाहिद खान बनाम। राजस्थान राज्य, [(2016) 4 एससीसी 96]

जैसा कि नीचे दिया गया हैः -

" 20. घटना के 3 दिन बाद पीडब्लू 25 मिर्जा माजिद बेग और पीडब्लू 24 मोहम्मद शाकिर के बयान दर्ज किए गए। 3 दिन तक उनकी जांच क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यह भी ज्ञात नहीं है कि पुलिस को कैसे पता चला कि इन गवाहों ने घटना को देखा था। बयान दर्ज करने में देरी एक

उनके प्रत्यक्षदर्शी होने के बारे में गंभीर संदेह घटना। यह सुझाव दे सकता है कि जांच अधिकारी जानबूझकर समय निर्धारित कर रहा था ताकि इसके बारे में निर्णय लिया जा सके।

मामले को दिया जाने वाला आकार और चश्मदीद गवाहों को पेश किया जाना। इस मामले की परिस्थितियाँ इस देरी को इतना महत्व देती हैं। पीडब्लू 25 मिर्जा माजिद बेग और पीडब्लू 24 मोहम्मद शाकिर, उनकी अस्पष्टीकृत खामोशी को देखते हुए

और पुलिस को देर से बयान, हमें दिखाई न दें

पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह बनें। किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से भी उनके साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं है। हम अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखने के लिए केवल उनके साक्ष्य पर भरोसा करना असुरक्षित पाते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई दलीलों का विज्ञापन करने में विफल रहा है

अपीलार्थी और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हुए

जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। हमारी राय में, मामला

अपीलार्थियों के खिलाफ इससे आगे साबित नहीं हुआ है उचित संदेह। ”

गणेश भवन पटेल बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [(1978)

4 एस. सी. सी. 371] इस प्रकार हैः - " 15. जैसा कि निचली अदालत ने उल्लेख किया है, एक असामान्य विशेषता जो पीडब्लू वेलजी, प्रमीला और कुवरबाई के साक्ष्य पर अपना प्रभाव डालती है और उनके घटना के चश्मदीद होने के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है, वह है जांच अधिकारी द्वारा उनके बयान दर्ज करने में अनुचित देरी। हालाँकि ये गवाह जाँच के लिए उपलब्ध थे या हो सकते थे जब जाँच अधिकारी घटना स्थल पर गए थे या उसके तुरंत बाद, धारा 161, Cr.P.C के तहत उनके बयान अगले दिन दर्ज किए गए थे।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वेलजी (पीडब्लू 3) की जांच सुबह 8 बजे, प्रमीला की जांच 9.15 बजे या 9.30 ए. एम., और दोपहर 1 बजे कुवरबाई कुछ घंटों की देरी,

सरलता से, चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने में हो सकता है

नहीं, अपने आप में, अभियोजन में एक गंभीर दुर्बलता के बराबर है

मामला। लेकिन यह इस तरह के एक चरित्र को मान सकता है यदि वहाँ हैं

सहवर्ती परिस्थितियाँ यह सुझाव देती हैं कि अन्वेषक के बारे में निर्णय लेने के लिए जानबूझकर समय चिह्नित कर रहा था

मामले को दिया जाने वाला आकार और प्रत्यक्षदर्शियों को परिचय कराया जाए। परिस्थितियों का एक समूह जो इस तरह के उधार देता है

इस देरी का महत्व, तत्काल मामले में मौजूद है।

XXX

XXX

XXX

29. इस प्रकार आसपास के प्रकाश में माना जाता है

परिस्थितियों में, पंजीकरण में यह अत्यधिक देरी

' एफ. आई. आर. 'और बयान दर्ज करने में और देरी

भौतिक गवाह, संदेह का बादल डालते हैं

अभियोजन पक्ष के पूरे ताना-बाना की विश्वसनीयता

कहानी.

XXX

XXX

XXX

माना गया महत्व, जब के प्रकाश में माना जाता है सर्वव्यापी परिस्थिति कि अत्यधिक विलंब हुआ था

" एफ. आई. आर. "पंजीकृत किया गया था) और रिकॉर्डिंग में और देरी हुई वेलजी, प्रमीला और कुवरबाई के बयान। यह

परिस्थिति, पीछे की जमीन में बड़े आकार में, अनिवार्य रूप से

इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी थी

काफी विचार-विमर्श के बाद कल्पना और निर्माण किया गया और संदिग्ध स्थिति में देरी, अत्यधिक संदेह और

शक होता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 धारा 24 का एक अपवाद है जो धारा 27 के तहत सूचना से संबंधित है।o एक तथ्य की खोज की गई। यह प्रावधान केवल किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप सत्यापन के प्रमाण की सुविधा प्रदान करता है।

एक अपराध का आरोप। इस प्रकार, यह सिद्धांत को शामिल करता है

बाद के तथ्यों द्वारा "की श्रृंखला के लिए एक कड़ी की सुविधा

अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए कि जानकारी को जे. ए. एफ. ए. आर. यू. डी. एन. ओ. आर. एस. प्राप्त हुआ।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियुक्त की ओर से पाया गया तथ्य संबंधित है। इसका उद्देश्य इसका उपयोग वसूली के उद्देश्य से करना है क्योंकि यह अंततः अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से एक नए तथ्य की खोज से संबंधित मुद्दे को छूता है। अतः धारा 27 एक अपवाद है -

धारा 24 से 26 एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और इस प्रकार एक परंतुक के रूप में समझा जाएगा।

31. पता चले तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से। यही कारण है कि जानकारी तब प्राप्त की गई है जब आरोपी अभी भी पुलिस की हिरासत में है। प्रावधान के पीछे उपरोक्त उद्देश्य को समझने के बाद, धारा 27 के तहत किसी भी वसूली को न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करना होगा। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष कभी-कभी अन्य तरीकों से अभियुक्त की अभिरक्षा का लाभ उठा सकता है। अदालत को गवाह की विश्वसनीयता और वसूली से निपटने के दौरान पेश किए गए अन्य सबूतों के प्रति सचेत रहना होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत।

पूर्वाभासः

कुसल टोप्पो बनाम। झारखंड राज्य, [(2019) 13 एससीसी 676]

जैसा कि नीचे दिया गया हैः
" 25. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है, जहां गीजागंडा में इस अदालत में है

" 22. चूंकि इस धारा का पुलिस द्वारा अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए अदालतों को इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अदालत को पुलिस द्वारा साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि यह प्रावधान दुरुपयोग के लिए असुरक्षित है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि उपरोक्त धारा के संदर्भ में दिए गए किसी भी कथन को संदेह के साथ देखा जाना चाहिए और
इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया था। अदालत को सावधान रहना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्य की खोज के मामले के रूप में वसूली के एक साधारण मामले के साथ आरोपी के बयान को आकर्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान। "[2022] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

26. धारा 27 का मूल आधार पुलिस के समक्ष दिए गए भड़काऊ बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ प्रतिबंध को केवल आंशिक रूप से हटाना है, यदि वास्तव में इसमें कोई तथ्य पाया जाता है।

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का परिणाम। ऐसी स्थिति कुछ गारंटी देगी। हम कर सकते हैं

इसके अलावा ध्यान दें कि अदालतों को इस तरह के साक्ष्य पर विचार करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।

27. इस न्यायालय ने कई मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराया है और केवल वसूली से संबंधित सीमित पहलू के लिए धारा 27 का उपयोग किया है।

(पुलुकुरी कोटय्या बनाम का संदर्भ लें। राजा सम्राट, 1946 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47: (1946-47) 74 आई. ए. 65; जाफर हुसैन दस्तगीर बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1969) 2 एस. सी. सी. 872: ए. आई. आर 1970 एस. सी. 1934)। एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में हम कर सकते हैं

ध्यान दें कि इस न्यायालय के कुछ उदाहरणों को समझे बिना की गई कुछ टिप्पणियों पर निर्भरता

मामले की पृष्ठभूमि टिकाऊ नहीं हो सकती है। इस बात का कोई लाभ नहीं है कि यह केवल वह अनुपात है जिसमें पूर्ववर्ती मूल्य और उसी को एक ओबिटर तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। चूंकि यह न्यायालय अपील के लिए अंतिम मंच है, इसलिए हमें इस तथ्य का संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय आम तौर पर केवल तथ्यों से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करता है और

उस मामले की परिस्थितियों में, मुकदमे में शामिल सूक्ष्म अति-तकनीकी और तथ्यात्मक पेचीदगियों पर विस्तृत रूप से चर्चा किए बिना। नवनीतकृष्णन बनाम। राज्य, [(2018) 16 एस. सी. सी. 161] जैसा कि नीचे दिया गया है:

" 23. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए बयान

अभियुक्त पुलिस के समक्ष दिए गए पिछले बयान हैं और इसलिए दोनों अपीलार्थी द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है

अभियुक्त के साथ-साथ अभियोजन भी। मामले के इस दृष्टिकोण में, सेल्वी बनाम में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख करना उचित है। कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1 जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था: (एससीसी पीपी। 334-35 , पैरा 133 और 134)

" 133. हम पहले ही धारा 161 सी. आर. पी. सी. की भाषा का उल्लेख कर चुके हैं जो अभियुक्त के साथ-साथ संदिग्धों जाफरूद्दीन और ओ. आर. एस. की रक्षा करती है।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

और ऐसे गवाह जिनसे आपराधिक मामले में जाँच के दौरान पूछताछ की जाती है। यह भी उपयोगी होगा कि

एच. पी. प्रशासन। वी. ओम प्रकाश, [(1972) 1 एस. सी. सी. 249] " 8 ..... हम इस बात से अनजान नहीं हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 जो हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी को एक तथ्य और तथ्य की खोज की ओर ले जाती है।

स्वीकार्य, दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है और इस कारण से किसी भी प्रयास का विरोध करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा को जांच अधिकारी के हेरफेर या चतुराई से दरकिनार करना। बरामदगी से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते समय हमें उस सावधानी का प्रयोग करना होगा

और ऐसी देखभाल जो यह आश्वासन देने के लिए आवश्यक है कि प्रस्तुत की गई जानकारी और पाया गया तथ्य विश्वसनीय है।

अघनू नागेसिया बनाम। बिहार राज्य, [(1966) 1 एस. सी. आर. 134] निम्नानुसार हैः -

" 9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 प्रावधानों में से एक है

अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयानों से संबंधित कानून। इकबालिया बयानों से संबंधित कानून आम तौर पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 162 और 164 में पाया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 31 को "प्रवेश" शीर्षक के तहत पाया जाना है। कन्फेशन [2022] 5 एस. सी. आर की एक प्रजाति है।

अधिकारी। धारा 26 एक पुलिस अधिकारी के सामने किए गए स्वीकारोक्ति पर धारा 25 द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को योग्य नहीं बनाती है। धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, और धारा 24,25 और 26 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा देती है। यह प्रावधान करता है कि जब किसी भी तथ्य को किसी भी मामले के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पाया जाता है अपराध, एक पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, ऐसी जानकारी का इतना हिस्सा, चाहे वह एक स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में किसी भी उद्देश्य के लिए जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान का उपयोग करने से मना करती है।

जांच के तहत, प्रावधान में उल्लिखित और उप-धारा (2) के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर, और यह विशेष रूप से प्रावधान करता है कि इसमें कुछ भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है। के शब्द

धारा 162 जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है। एक जाफरुद्दीन और ओ. आर. एस. के दौरान दिया गया एक बयान या स्वीकारोक्ति।

वी. केरल राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच दर्ज की जा सकती है।

वह उस जगह की ओर इशारा करेगा लेकिन उस हिस्से की ओर नहीं जहाँ उसने कहा था कि उसने गहने छिपाए थे। इस संबंध में सत्र न्यायाधीश ने पुलुकुरी कोटय्या बनाम पर भरोसा किया। राजा। सम्राट [(1946) 74 आई. ए. 65] जहाँ हत्या के मामले में चाकू की बरामदगी के लिए दिए गए बयान के एक हिस्से को न्यायिक समिति द्वारा अस्वीकार्य माना गया था। उस मामले में न्यायिक समिति ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पर विचार किया, जो इन शर्तों में हैः

" बशर्ते कि, जब किसी तथ्य को अपदस्थ कर दिया जाता है

किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप, एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में पाई गई, ऐसी जानकारी, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जैसा कि इस तरह से खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है।

यह धारा धारा 25 और 26 के लिए एक अपवाद है, जो किसी पुलिस अधिकारी के सामने किए गए स्वीकारोक्ति या किसी व्यक्ति के पुलिस हिरासत में होने के दौरान किए गए स्वीकारोक्ति के प्रमाण को प्रतिबंधित करती है, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है।

धारा 27 अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के उस हिस्से की अनुमति देती है "चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं" जो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है।

उस मामले में समिति को इस बात पर विचार करना था कि आरोपी द्वारा पुलिस को दी गई कितनी जानकारी धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगी और उन शब्दों पर जोर दिया जो उस संबंध में "इतनी अधिक जानकारी है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है"। इसने अभिनिर्धारित किया कि स्वीकार्य जानकारी की सीमा उस तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिसके लिए ऐसी जानकारी का पता चला है।
संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है। यह आगे बताया गया कि "पता लगाया गया तथ्य उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया जाता है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, और दी गई जानकारी का स्पष्ट रूप से संबंध होना चाहिए

यह तथ्य "।

योग्यता के बारे में:

32. हम पहले पीड़ित अभियुक्त का मामला लेंगे।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के हाथों दोषसिद्धि। गौर करने पर, हम पाते हैं कि अदालतों ने सभी दलीलों को अच्छी तरह से निपटाया है। ट्रायल कोर्ट ने इस मुद्दे पर देरी और तर्क पर विचार किया

इसके तहत प्रस्तुत हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। हमें यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है कि देरी जानबूझकर और जानबूझकर की गई है ताकि कोई संदेह पैदा किया जा सके। यह घटना रात और एक्सट में हुई। पीएल

अगले दिन शाम को पहुँच गया। मोड पर कोई स्पष्टता नहीं है। शायद यह दिन में देर से पहुँचा क्योंकि यह महसूस किया गया होगा कि इसे रात के समय, घटना के समय क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखा गया था। विचारण न्यायालय ने इस पहलू पर विचार किया है, और चूंकि हम इसके तर्क में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं, जो कि चश्मदीद गवाहों के बयान सहित अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है, हम उक्त तर्क को अस्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

33. यह भी तर्क दिया जाता है कि एक्स्ट में कोई संदर्भ देने की संभावना नहीं होगी। पी1 वाहनों की पंजीकरण संख्या के बारे में जो

पी. डब्ल्यू. 1 को अगले दिन ही पता चला। यद्यपि विचारण न्यायालयक समक्ष नहि उठाओल गेल अछि मुदा उपरोक्त तर्क सेहो खारिज करबाक योग्य अछि। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य घटना के स्थान और जिस तरीके से यह हुआ, उसका सुझाव देंगे। ट्रायल कोर्ट ने घटना को देखने वाले गवाहों की गवाही की स्वीकृति पाई। बयान पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रदर्शनी पी1 का पंजीकरण। इससे अभियोजन पक्ष के मामले में भौतिक रूप से बदलाव नहीं आएगा।

34. हालांकि ए-8 और ए-9 घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने दलील दी है कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ट्रायल कोर्ट था

यह मानने का अधिकार है कि डॉक्टर के साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से चोट लगने के कारणों की व्याख्या करेंगे।

अभियुक्त (ए-8 और ए-9) को घटना स्थल पर चोट लगी, जिससे उन्होंने इनकार किया। इस प्रकार, उठाया गया उक्त तर्क भी खारिज किए जाने के योग्य है।

35. हम पाते हैं कि जहां तक उपरोक्त अभियुक्तों का संबंध है, उनके माध्यम से महाभियोग चलाने के लिए प्रत्यक्ष गवाहों से कुछ भी नहीं निकला है।

सबूत। केवल इसलिए कि गवाह संयोग गवाह होने के अलावा परिवार के सदस्य हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू के 4 और 21 घटना स्थल के पास देखे जाने की संभावना है। पी. डब्ल्यू. 21 पास के थिएटर में काम कर रहा था और पी. डब्ल्यू. 4 एक पड़ोसी था। हालाँकि उन्होंने इस घटना को घर के अंदर से नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी उपस्थिति वहाँ उपस्थित होने की सीमा पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अतः ए-2, ए-4, ए-5, ए-8 और ए-9 पर लागू उनके साक्ष्य को अनुमोदित किया जाना चाहिए। दोनों अदालतों ने ड्राइंग में उपलब्ध पूरे साक्ष्य पर विचार किया है।

उनका निष्कर्ष, जिसे हम विकृत नहीं पाते हैं। मामले के इस तरह के दृष्टिकोण में, आपराधिक अपील सं। 450-451 2015 की और 2015 की आपराधिक अपील संख्या 959 खारिज कर दी गई है।

36. यह हमें 2015 की आपराधिक अपील Nos.430-431 होने वाली शेष आपराधिक अपीलों पर ले जाता है। हम में काफी बल पाते हैं

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत द्वारा प्रस्तुत किया गया। निचली अदालत ने इन अभियुक्तों को बरी करने के लिए ठोस तर्क दिया है। इसने पाया कि गवाह इन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आगे-पीछे जा रहे थे। संयोगवश, इसने पाया कि दो भौतिक वस्तुएँ जिनमें ए-8 और ए-11 या तो घटना स्थल की यात्रा करके या स्वामित्व करके शामिल थे, उन्हें विधिवत जोड़कर साबित नहीं किया जाता है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत व्यापक कारण दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 149 पर भरोसा करके निचली अदालत में गलती पाई। धारा 149 को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि

मूलभूत तथ्य। ट्रायल कोर्ट ने एक संभावित दृष्टिकोण लिया है कि चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अदालत की शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। ए-10 से ए-13 की उपस्थिति। जैसा कि हमारे द्वारा दर्ज किया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण दिए गए हैं। उस संदर्भ में, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीडब्लू. 1 और पीडब्लू. 2 में यह नहीं कहा गया है कि ए-11 ने चोटें पहुंचाई हैं। ट्रायल कोर्ट को गवाहों को देखने का फायदा था क्योंकि वे

पदच्युत कर दिया। अपीलीय मंच अपने विचारों को प्रतिस्थापित करके उसके बाद आए निष्कर्ष को नहीं बदल सकता है। हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने संभावना की प्रधानता के सिद्धांत को अपनाया है जो मामले में दीवानी मामलों पर लागू हो सकता है जब बरी करने के आदेश को उलटने के लिए अधिक जांच की आवश्यकता होती है।

38. ए-11 और ए-13 के विरुद्ध पी. डब्ल्यू. 21 और पी. डब्ल्यू. 46 के साक्ष्य के साथ नहीं जाने के लिए विचारण न्यायालय का तर्क एक तर्क प्रतीत होता है।

यह स्वीकार्य है क्योंकि यह उन चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर बेहद संदिग्ध था जिन्होंने वास्तव में घर के बाहर से घटना को देखा था। इसके अलावा, इन गवाहों, P.W.21 और P.W.46 ने धारा 161 Cr.PC के तहत नौ दिन और दो दिन की देरी के बाद ही अपने बयान दिए हैं। इसलिए, हम अपने अनुरूप तर्क को आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि उनकी ओर से उठाए गए साक्ष्य तर्क

इन गवाहों द्वारा दिए गए बयान संदेह पैदा करते हैं और गुमराह करने की संभावना है या किसी भी तरह से, गंभीर रूप से विवादित निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दृढ़ नहीं हैं। इस प्रकार, हम निचली अदालत के फैसले को अपनी मंजूरी देते हैं। 39. उच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ वसूली पर भी अपनी निर्भरता रखी। हमारा मानना है कि इस तरह की वसूली की उम्मीद है

साबित किया जाना है यदि न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाता है। रिकवरी मजार पर हस्ताक्षर करने वाले पी. डब्ल्यू. 35 के विपरीत, वह उस स्थान से परिचित भी नहीं थे और

वे एक दूर के क्षेत्र में रहते थे। इसी तरह, पीडब्लू 33 इलाके का निवासी नहीं है। पी. डब्ल्यू. 4 को छोड़कर, अन्य गवाहों ने इसकी पहचान नहीं की है

भौतिक वस्तु बरामद की गई।

40. P.W.40, जिन्होंने पुनर्प्राप्ति महाजारक्का ए-11 पर हस्ताक्षर किए, शत्रुतापूर्ण हो गए। इसके अलावा, ए-11 की गिरफ्तारी 05.08.2002 पर की गई थी, जबकि वसूली 13.08.2002 पर की गई थी, जिससे एक गंभीर संदेह पैदा हुआ।

41. ए-12 से की गई वसूली के लिए भी पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 3 तक कोई पुष्टि नहीं है। P.W.34, जिसने एक मजार पर हस्ताक्षर किए थे, वह भी एक सीपीआई (एम) है पार्टी के सदस्य।

हम यह भी जोड़ सकते हैं कि P.W.64, जांच अधिकारी, उन गवाहों के बारे में अज्ञानता का नाटक करता है जिन्होंने वसूली जे. ए. एफ. ए. आर. यू. डी. एन. एंड ओ. आर. एस. पर हस्ताक्षर किए थे।

मजार ए-10 और ए-11 से संबंधित है कि वे उक्त पक्ष के हैं या नहीं क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ से हैं। ए-12 से की गई बरामदगी पर, मजार पर P.W.50 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो संयोग से सीपीआई (एम) के सदस्य भी थे और अन्य प्रमाणक सदस्य की जांच नहीं की गई थी। यह भी असंभव है कि ए-12 रक्त के धब्बों के साथ 10 दिनों से अधिक समय तक एक ही पोशाक पहन सकता है। यही तर्क ए-10 पर भी लागू होगा।

42. अस्पताल से ए-13 से खून से सना कपड़ा बरामद किया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि उक्त पोशाक अस्पताल में कैसे पहुंची, और उक्त पोशाक को आरोपी की पोशाक से संबंधित करने के अलावा उस गिनती पर कोई सबूत सामने नहीं आया है।

43. ऊपर से, हम एक संरचित पैटर्न पा सकते हैं

ए-10 से ए-13 की वसूली। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अनिवार्य वसूली करने के लिए कुछ चिंता है। वसूली हैं

कहा जाता है कि इसे P.W.21 के घर से बनाया गया है, जिसका A-10 से कोई संबंध नहीं है। गलत धारणा है कि इस तरह के एक दोषपूर्ण की वसूली

लेख एक ऐसे स्थान से बनाया गया था जो P.W.21 के लिए भी सुलभ हो सकता है, यह भी उन संदेहों में से एक है जो हम इस मामले के निम्नलिखित तथ्यात्मक सादृश्य में महसूस करते हैं। पीडब्लू 21 भी वही गवाह है जिसने आरोपी से संबंधित घटना के नौ दिन बाद अपना 161 Cr.PC बयान दिया है। यह अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। 44. उपरोक्त रूप में की गई चर्चा पर, हम 2015 की आपराधिक अपील और 2015 की आपराधिक अपील उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाली अपीलों को खारिज करने के लिए इच्छुक हैं। 2015 की आपराधिक अपील संख्या 430-431 में अपीलार्थियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि को ए-10 से ए-13 के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। नतीजतन, अभियुक्तों द्वारा दायर अपील संख्या। ए-10 से ए-13 को 2015 की आपराधिक अपील No.430-431 होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को दरकिनार करके और निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को बहाल करके अनुमति दी जाती है। ए 10 से ए-13 से संबंधित जमानत बांड, यदि कोई हो, तो जारी कर दिए जाते हैं। लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हैं, तो खड़े हैं

निकाल दिया।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)